पंजाब केसरी
THU,10 SEPTEMBER 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

परीक्षा सामग्री की सुरक्षा परीक्षा केंद्रों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी : डा. राजेश

सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा को लेकर जारी किए निर्देश

धर्मशाला, 9 सितम्बर (ब्यूरो): प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितम्बर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

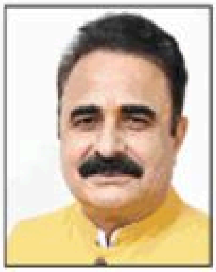

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा परीक्षा केंद्रों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बोर्ड से प्राप्त परीक्षा सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित और अधिकृत स्थान पर रखा जाए, जहां किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो।

उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर परीक्षा सामग्री रखी जाए, वहां सी.सी.टी.वी. कैमरों से निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र यह भी सुनिश्चित करें कि सी.सी.टी.वी. कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हों और परीक्षा सामग्री वाले स्थान की निगरानी बनी रहे।

बोर्ड द्वारा परीक्षा सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने और संभालने से संबंधित दिशा-निर्देश स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं।

डा. शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री को प्राप्त करने से लेकर परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने तक उसकी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभालें। परीक्षा सामग्री से जुड़ी किसी भी जानकारी या दस्तावेज को अनधिकृत व्यक्ति के साथ सांझा न किया जाए।

मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब 30 तक कर सकेंगे आवेदन

शिमला, 9 सितम्बर (ब्यूरो) : केंद्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र विद्यार्थी 30 सितम्बर तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इसके बाद संस्थान स्तर पर आवेदन की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के अनुसार आई.एन.ओ. स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर रखी गई है। डी.एन.ओ./एस.एन.ओ. स्तर पर एल-2 सत्यापन की प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी करनी होगी।

Dainik Jagran Dt. 10-09-2026

सुरक्षित व अधिकृत स्थान पर ही रखें परीक्षा सामग्री

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने 16 सितंबर से आरंभ होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों को जारी किए विशेष दिशानिर्देश

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित परीक्षा केंद्रों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डा. राजेश शर्मा ● जागरण आर्काइव

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा परीक्षा केंद्रों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बोर्ड से प्राप्त परीक्षा सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित और अधिकृत स्थान पर रखा जाए, जहां किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो। जिस स्थान पर परीक्षा सामग्री रखी जाए, वहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र यह भी सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हों और परीक्षा सामग्री वाले स्थान की निगरानी बनी रहे।

डा. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री को प्राप्त करने से लेकर परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने तक उसकी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभालें। परीक्षा सामग्री से जुड़ी किसी भी जानकारी या दस्तावेज को अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा न किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर लें और स्कूल लागिन पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डाक्टर राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने, सीसीटीवी निगरानी तथा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Anant Gyan Dt. 10-09-2026

परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को लेकर बोर्ड सख्त

16 सितंबर से परीक्षाएं, सीसीटीवी निगरानी में रखनी होगी गोपनीय सामग्री

अनंत ज्ञान

ब्यूरो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ने 16 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा परीक्षा केंद्रों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बोर्ड से प्राप्त परीक्षा सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित और अधिकृत स्थान पर रखा जाए, जहां किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो।

उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर परीक्षा सामग्री रखी जाए, वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र यह भी सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हों और परीक्षा सामग्री वाले स्थान की निगरानी बनी रहे।

◆सामग्री से छेड़छाड़ या नियमों की अनदेखी पर केंद्र प्रभारी होंगे जिम्मेदार

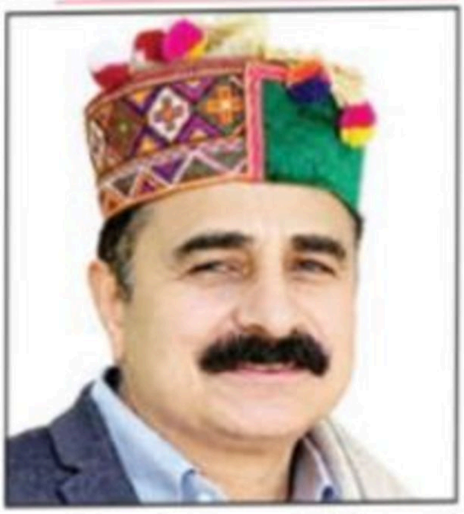

बोर्ड द्वारा परीक्षा सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने और संभालने से संबंधित दिशा-निर्देश स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और बताए गए तरीके के अनुसार परीक्षा सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करें। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री को प्राप्त करने से लेकर परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने तक उसकी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभालें। परीक्षा सामग्री से जुड़ी किसी भी जानकारी या दस्तावेज को अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा न किया जाए।

उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों से कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर लें और स्कूल लॉगिन पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने, सीसीटीवी निगरानी तथा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए संबंधित परीक्षा केंद्र प्रभारी जिम्मेदार होंगे।

Himachal Dastak Dt. 10-09-2026

प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने दिए परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं की सामग्री की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा सामग्री को सुरक्षित और अधिकृत स्थान पर रखा जाए, जहां अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो। परीक्षा सामग्री वाले स्थान पर सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने और कैमरों के सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सामग्री को केवल अधिकृत व्यक्ति ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत संभाल सकेंगे। सभी निर्देश विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए संबंधित केंद्र प्रभारी जिम्मेदार होंगे।

HPBOSE Issues Special Guidelines for the Safe Custody of Examination Materials for Exams Starting September 16

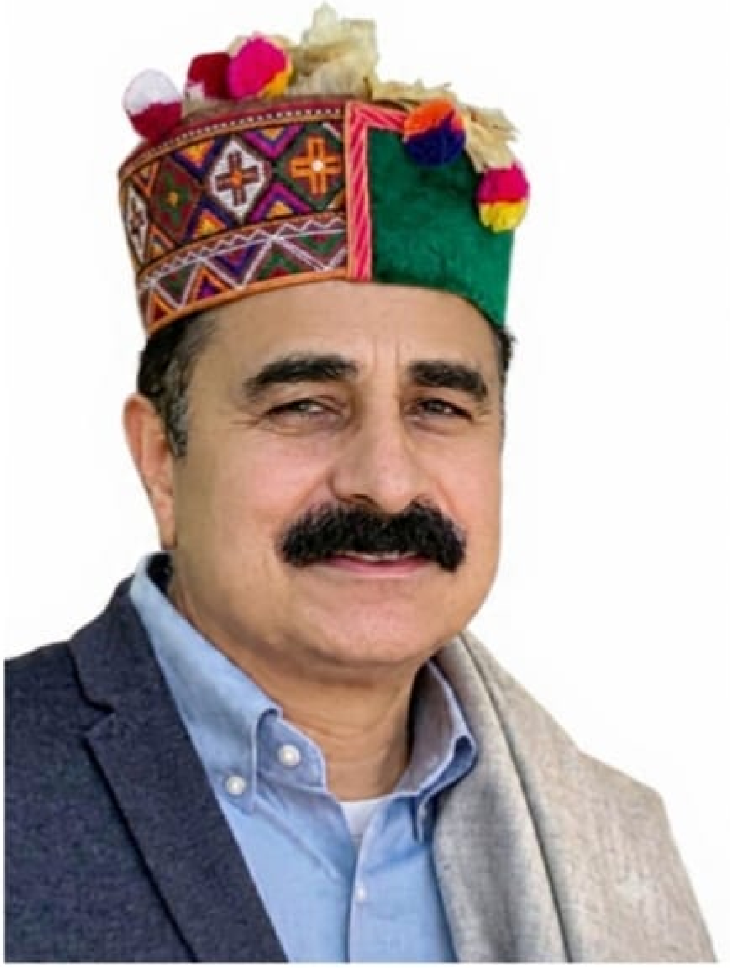

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA SEP 9 : The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE), Dharamshala, has issued special guidelines to all concerned examination centers regarding the safe custody and confidentiality of examination materials for the exams commencing on September 16, 2026. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma stated that ensuring the security of examination materials is a crucial responsibility of the examination centers. He directed that materials received from the Board be stored in a secure and authorized location—in accordance with the prescribed procedure—where unauthorized persons have no access. He further stated that the storage area must be monitored by CCTV cameras. Examination centers must ensure that the CCTV cameras are functioning correctly and that continuous surveillance of the storage area is maintained. Guidelines regarding the safe storage and handling of examination materials have been made available on the 'School Login' portal. All examination centers are advised to read these instructions carefully and ensure the security of the materials as prescribed. Dr. Rajesh Sharma emphasized that maintaining the security and confidentiality of examination materials from the time of receipt until their use during the exam is essential. Only authorized personnel should handle the materials according to the established procedure, and no information or documents related to the examination materials should be shared with unauthorized individuals. He urged all examination centers to complete the necessary security arrangements well in advance and strictly adhere to the instructions provided on the 'School Login' portal. The Board has clarified that any negligence regarding the safe storage of examination materials, CCTV surveillance, or compliance with the issued guidelines will be viewed seriously. Necessary action, in accordance with the rules, will be taken against examination centers that fail to comply with the instructions, and the respective examination center in-charge will be held responsible.

SEPTEMBER 10, 2026 THURSDAY HIMACHAL PRADESH

The Sunny Times

HPBOSE TELLS EXAM CENTERS TO GUARD QUESTION PAPERS LIKE FORT KNOX

The Sunny Times | Dharamshala

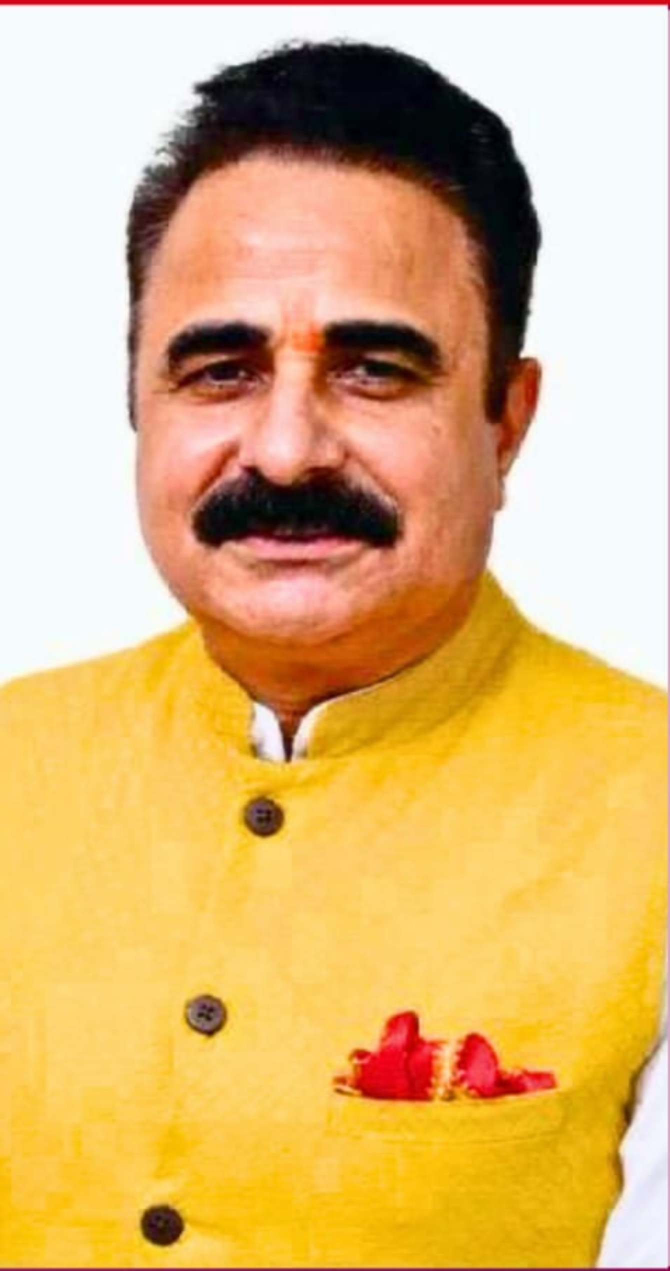

The Himachal Pradesh Board of School Education has a very clear memo for every test center in the state: keep the upcoming September 16 exam papers safer than your family secrets, or prepare to face the music.

With board exams around the corner, HPBOSE Chairman Dr. Rajesh Sharma has issued a no-nonsense set of ironclad security guidelines to prevent any eleventh-hour leaks, disappearances, or sudden memory lapses. The core directive is painfully simple: lock the exam materials away in strictly authorized vaults where unauthorized wanderers cannot stroll in, and keep high-definition CCTV cameras rolling over the stash around the clock.

Centers have also been gently reminded that unplugged cameras, blind spots, or "technical glitches" will fool nobody, as functional, non-stop video surveillance is mandatory.

The board has already dropped the fine print directly into every institution's portal, explicitly warning administrators that leaving papers unattended or whispering about test logistics to outside parties will not be tolerated.

From the exact second the sealed consignments arrive to the minute question booklets hit students' desks, the custody trail must remain bulletproof. If a center drops the ball, cuts corners on surveillance, or allows papers to magically grow wings, the board won't just file a stern complaint the center heads themselves will be personally held accountable and slapped with strict regulatory action. In short, watch the papers like a hawk, or let the board make an example out of you.